संख्या-2/2017/282/एक-3-2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव, राजस्व
एवं राहत आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 15 फरवरी,2017

विषय- उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों में राज्य सरकार द्वारा अनुबन्धित सी0जी0एच0एस0 निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-रा0स्वा0बी0यो0/पत्रां-444/2016-17/42, दिनांक 12 जनवरी,2017 (फोटो प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से सभी राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के स्टेट हेल्थ कार्ड जारी किये जाने के लिये प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए कार्डों के निर्गमन हेतु अविलम्ब कार्यवाई की अपेक्षा की गयी है। यह भी अवगत कराया गया है कि योजना का क्रियान्वयन 01 मई,2017 से प्रस्तावित है, जिसके पूर्व सभी कर्मचारियों का पंजीकरण करते हुए कार्ड निर्गमन की कार्यवाही की जानी है। मासिक प्रगति के लिए प्रारूप का भी निर्धारण किया गया है।

2- अतएव यह अपेक्षा की जाती कि शासन के उक्त निर्देशों के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करायी जाए तथा मासिक प्रगति आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्यत: उपलब्ध करायी जाए।

संलग्नक-उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या)
(द्वितीय संशोधन) नियमावली2016

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र दिनांक 12 जनवरी,2017 के क्रम में सूचनार्थ।
2. चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित प्रारूप पर मासिक प्रगति संकलित कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा 01 प्रति अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन एवं 01 प्रति मुख्य कार्यपालक अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्टेट एजेन्सी फॉर काम्प्रीहेन्सिव हेल्थ इंश्योरेन्स, चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

(उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (द्वितीय संशोधन) नियमावली,2016 वेबसाइट www.uphealth.up.nic.in पर अवलोकनीय है।)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।